

# जिला साक्षरता वाहिनी का कार्यालय, धनबाद

## अल्पकालीन निविदा

साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत पठन-पाठन सामग्री क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग एक मोहर बंद लिफाफे में दिनांक 29.10.2016 के 02 बजे अपराह्न तक जिला साक्षरता वाहिनी कार्यालय, गोल्फ ग्राउण्ड, धनबाद में कार्य दिवस एवं कार्य अवधि में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 29.10.2016 को ही 3:00 बजे अपराह्न में प्राधिकृत क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। क्रय की जानेवाली सामग्री निम्नवत है :-

1. कॉपी (अभ्यास पुस्तिका रूलींग) - (साईज- 17 से0मी0 x 23 से0मी0, 60 जी0एस0एम0 पेपर रूल, 48 पन्ना (96 पृष्ठ), कूट वाईडिंग, कभर प्रिन्टेड दोनो तरफ)
2. काष्ट पेन्सिल-HB (उत्तम क्वालिटी)
3. रबर (उत्तम क्वालिटी)
4. कटर (उत्तम क्वालिटी)
5. उपस्थिति पंजी - (साईज - 16 से0मी0 x 20 से0मी0, लेजर पेपर, 24 पन्ना (48 पृष्ठ), कभर-फाईल बोर्ड वाईडिंग, कभर एवं सभी पृष्ठ प्रिन्टेड)
6. ब्लेक बोर्ड रोलिंग (उत्तम क्वालिटी) साईज - 90 से0मी0 x 120 से0मी0
7. चॉक (उत्तम क्वालिटी) - 90 स्टीक का प्रति पैकेट
8. स्वयं सेवक शिक्षक डायरी (प्रिन्टिंग सहित) साईज - 13.5 सेमी0 x 21.5 सेमी0, 60 जी0एस0एम0 पेपर, 50 पन्ना (100 पृष्ठ), कभर-फाईल बोर्ड वाईडिंग, कभर एवं सभी पृष्ठ प्रिन्टेड)
9. प्रशस्ति पत्र - (साईज- A4, 250 जी0एस0एम0 - ग्लोसी पेपर, मल्टी कलर प्रिन्टेड एक तरफ)


### निविदा की शर्त :-

1. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय कृत बैंक के 25,000 रू0 का बैंक डाफ्ट जिला साक्षरता वाहिनी, धनबाद के नाम जमा करना होगा, जो क्रय समिति के बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रधन की राशि वापस की जायेगी अथवा अवैध आचरण या तय समय पर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर उक्त अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग एक मोहर बंद लिफाफा में डाल कर देना होगा।
3. तकनीकी बीड पहले खोला जायेगा। तकनीकी बीड में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
4. तकनीकी निविदा की शर्त- झारखंड में बिक्रय निबंधन प्रमाण पत्र/वैट चुकाने का अदेय अद्यतन प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न की अद्यतन प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, वाणिज्यकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, निविदा से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र एवं अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. वित्तीय बीड में केवल सामग्री का दर निर्धारित करना होगा।
6. सामग्री की आपूर्ति जिला से निर्धारित मात्रा में जिले के 8 प्रखंडों के प्रखंड साक्षरता वाहिनी कार्यालय में पहुँचाकर करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय अथवा हथालन व्यय देय नहीं होगा।
7. किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या सरकारी अनुदेश के आलोक में अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
8. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

  
13.10.16

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
-सह-सचिव

जिला साक्षरता वाहिनी, धनबाद।

  
13/10/16

  
13/10/16

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला साक्षरता वाहिनी  
धनबाद।